अन्तर्देशीय जल-मार्ग प्राधिकरण द्वारा उठाया गया घाटा

3534. **श्री राम जेठमलानी:**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन:

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्देशीय जल-मार्ग प्राधिकरण को गत कुछ वर्षों से घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1992 के अंत तक सरकार द्वारा इस प्राधिकरण में कितनी धनराशि निवेश की गयी थी;

(ग) प्राधिकरण को ऋण के तौर पर कितनी राशि प्रदान की गई है;

(घ) मार्च, 1992 के अंत तक प्राधिकरण को कुल कितना घाटा हो चुका है;

(ङ) क्या सरकार ने इस प्राधिकरण में हुए घाटे के कारणों का विश्लेषण किया है; और

(च) यदि हां, तो यह विश्लेषण कब किया गया और उसके क्या निष्कर्ष निकले तथा सरकार द्वारा इस घाटे पर रोक लगाने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान क्या कदम उठाए गए?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) से (च) भारतीय अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण एक वाणिज्यिक उपक्रम नहीं है और इसलिए मुनाफा कमाने या घाटा होने का प्रश्न नहीं उठता। यह नियामक-सह-विकास प्राधिकारण है जिसके मुख्य उद्देश्य हैं—नौवहन और नौचालन के प्रयोजनार्थ तथा उससे जुड़े या उससे प्रासंगिक मामलों के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों का नियमन और विकास करना। अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को मार्च, 1992 तक 40.86 करोड़ रु० की कुल राशि अनुदान के रूप में जारी की गई है। प्राधिकरण को कोई ऋण नहीं दिया गया।

Position of the Central Road Funds

3535. SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV:
SHRI V. NARAYANASAMY:

Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) what is the position of Central Road Funds for different States;

(b) the amount likely to be allocated to Maharashtra; and

(c) what action Government propose to take to release funds to the State?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) and (b) Presumably, the Hon'ble Member is refering the Revised Resolution about Central Road Fund adopted by the Parliament on 13.5.1988 about augmenting the funds under Central Road Fund to various States including Maharashtra. Since actual augmentation of Central Road Fund as per above Resolution has not taken place yet, the enhanced amount could not be allocated to the States. However, in the absence of augmentation of Central Road Fund, 42 schemes costing Rs. 1770.16 lakhs have been approved in Maharashtra taking into account the free balance available as on 31.3.1992 as per Old Resolution with the share under Central Road Fund restricted to Rs. 1057.64 lakhs.

(c) Funds against the approved works under Central Road Fund are released to States at the close of each year taking into account the schemes approved previously, availability of funds, expenditure incurred by the State Governments etc.